सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| भाद्र 23, गुरूवार, *शाके* 1945-सितम्बर 14, 2023<br>*Bhadra 23, Thursday , Saka 1945- September 14, 2023* | |

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 14, 2023**

**संख्या प.2(44)विधि/2/2023.-** राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

# राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023

**(2023 का अधिनियम संख्यांक 29)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई)

राज्य में प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों और समूहकों को रजिस्ट्रीकृत करने, प्लेटफार्म-आधारित गिग कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने और कल्याण निधि स्थापित करने के लिए और प्लेटफार्म-आधारित गिग कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को सुकर बनाने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

## अध्याय-1

## प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ और लागू होना.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) यह-

(i) राजस्थान राज्य में काम करने वाले किसी समूहक पर;

(ii) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) और खण्ड (च) के अधीन क्रमश: यथा परिभाषित गिग कर्मकार और प्लेटफार्म की परिभाषा के अनुरूप की जा रही किसी सेवा या किये जा रहे किसी कार्य पर,

लागू होगा।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "समूहक" से विक्रेता या सेवा प्रदाता के साथ किसी माल के क्रेता या किसी सेवा के उपयोक्ता को जोड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यवर्ती अभिप्रेत है, और इसमें कोई इकाई, जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक या अधिक समूहकों के साथ समन्वय करती है, सम्मिलित है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से बोर्ड का सदस्य-संयोजक अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "निधि" से इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार सा माजिक सुरक्षा और कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "गिग कर्मकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारम्परिक नियोजक-कर्मचारी संबंधों से बाहर कार्य संपादन करता है या किसी कार्य के इंतजाम में भाग लेता है और ऐसे क्रियाकलापों से उपार्जन करता है और जो ऐसी संविदा में अधि कथित निबंधनों और शर्तों पर आधारित प्रतिफल के रूप में संदाय की देय दर पर संविदा पर कार्य करता है और उसमें समस्त पीस-रेट कार्य सम्मिलित हैं;

(च) "प्लेटफार्म" से ऑनलाइन संव्यवहार आधारित कार्य के इंतजाम अभिप्रेत है, जिसमें संदाय की विनिर्दिष्ट दर के बदले माल और सेवायें प्रदान करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों और माल और सेवायें प्राप्त करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को अंतर्वलित किया जा सकेगा;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(झ) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "विशिष्ट पहचान" से धारा 8 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किसी प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार को जारी किया गया विशिष्ट संख्यांक अभिप्रेत है; और

(ट) "कल्याण फीस" से इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रभारित फीस अभिप्रेत है।

## अध्याय-2

## प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड

**3. राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड.-** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन, ऐसी तारीख से जो वह नियत करे, बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदेशित किये गये कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए, "राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड" के नाम से एक बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में होगा।

(3) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग, राजस्थान - पदेन अध्यक्ष;

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ii) | प्रभारी सचिव, श्रम विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो | - | पदेन सदस्य-संयोजक; |
| (iii) | प्रभारी सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो | - | पदेन सदस्य; |
| (iv) | प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो | - | पदेन सदस्य; |
| (v) | प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो | - | पदेन सदस्य; |
| (vi) | प्रभारी सचिव, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो | - | पदेन सदस्य; |
| (vii) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के दो प्रतिनिधि | - | सदस्य; |
| (viii) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले समूहकों, प्लेटफार्म के माध्यम से परिदत्त किये जाने वाले माल और सेवाओं के स्वामियों और विनिर्माताओं के दो प्रतिनिधि | - | सदस्य; और |
| (ix) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्रतिनिधि, एक सिविल सोसाइटी से और दूसरा जो किसी अन्य क्षेत्र में रूचि दिखाता है, जिसका राज्य सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए | - | सदस्य; |

परन्तु राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों में कम से कम एक-तिहाई महिलायें सम्मिलित हों।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रभारी सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(4) बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी:

परन्तु राज्य सरकार, यदि समुचित समझे, उनके कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी।

(5) मृत्यु, त्यागपत्र या उप-धारा (7) और (8) के अधीन निरर्हता या हटाये जाने के कारण होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, राज्य सरकार नये नामनिर्देशन द्वारा ऐसी रिक्ति को शेष पदावधि के लिए भरेगी।

(6) बोर्ड का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष को संबोधित स्वयं के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा/सकेगी और उसका पद, त्यागपत्र के स्वीकृत होने पर, रिक्त हो जायेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में चुना नहीं जायेगा, या बना नहीं रहेगा, जो-

(i) राज्य सरकार का वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है; या

(ii) दिवालिया है या किसी भी समय न्यायनिर्णीत दिवालिया हो चुका है; या

(iii) उन्मत्त पाया जाता है या विकृत्तचित्त हो जाता है; या

(iv) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोषसिद्ध है या हो चुका है; या

(v) कोई समूहक या माल का स्वामी या विनिर्माता, जिसने इस अधिनियम के किसी उपबंध का व्यतिक्रम या अतिक्रमण किया है।

(8) राज्य सरकार किसी भी नामनिर्दिष्ट सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो-

(i) इस धारा की उप-धारा (7) में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन निरर्हित है या हो गया है; या

(ii) बोर्ड की लगातार तीन से अधिक बैठकों से, बोर्ड की अनुमति के बिना, अनुपस्थित है।

**4. बोर्ड की बैठक.-** (1) बोर्ड की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उसकी बैठकों में कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जायेगा, जैसा विहित किया जाये:

परन्तु बोर्ड छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा:

परन्तु यह और कि बोर्ड के कम से कम छह सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष बोर्ड की बैठक बुला सकेगा।

(2) अध्यक्ष, या, यदि वह किसी कारण से बोर्ड की बैठक में उपस्थि त होने में असमर्थ है तो, उपस्थि त सदस्यों के द्वारा विनिश्चित किये गये किसी अन्य सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

(3) ऐसे समस्त प्रश्न जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष उठाये जायें, वे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, पीठासीन व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(4) बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का पचास प्रतिशत होगी।

**5. बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य.-** बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे:-

(क) धारा 8 के अनुसार प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

(ख) धारा 9 के अनुसार राज्य में काम कर रहे समूहकों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

(ग) कल्याण फीस कटौती तंत्र, समूहक की एप्लीकेशन के कृत्यकरण से समेकित है, यह सुनिश्चित करना;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का पुनर्विलोकन करने के लिए मानीटरी तंत्र स्थापित करना और यह प्रमाणित करना कि कल्याण फीस की कटौती सम्यक् रूप से की जा रही है;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीमों को मानीटर करना और ऐसी स्कीमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें प्रदान करना;

(च) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों के अनुसार फायदों तक प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों की पहुंच हो, यह सुनिश्चित करना और संबंधित समूहकों के साथ उनके द्वारा कार्य में लगे रहने के लिए उन्हें क्रियाशील सहूलियत उपलब्ध कराना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना;

(ज) इस अधिनियम के अधीन यथा आज्ञापित प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों और इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित किन्हीं अन्य मामलों का समयबद्ध रूप से निवारण सुनिश्चित करना;

(झ) प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के साथ काम कर रहे रजिस्ट्रीकृत संघों के साथ वचनबद्ध होना और उनके साथ नियमित रूप से खुला परामर्श करना;

(ञ) स्कीमों के निर्माण, पुनर्विलोकन और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक समिति गठित कर सकेगा।

**6. अधिकारी और कर्मचारी.-** राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करेगी, जो वह आवश्यक समझे।

**7. भत्ते.-** बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्य, बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसी दर पर, जो विहित की जाये, भत्तों के लिए हकदार होंगे।

## अध्याय-3

## प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों और समूहकों का रजिस्ट्रीकरण

**8. प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण.-** (1) समूहक, इस अधिनियम के प्रवर्तन के साठ दिवस के भीतर-भीतर जुड़े हुए या उनके साथ रजिस्ट्रीकृत समस्त प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों का अपना डाटाबेस, राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

(2) किसी प्लेटफार्म पर जुड़े हुये या रजिस्ट्रीकृत समस्त प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार स्वत: राज्य सरकार से रजिस्ट्रीकृत हो जायेंगे।

(3) राज्य सरकार, राज्य में के प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों का एक या अधिक समूहकों के साथ उनके नियोजन के ब्यौरों सहित, और किसी भी प्लेटफार्म से जुड़ाव की अवधि या समय के होते हुए भी, एक डाटाबेस संधारित करेगी।

(4) राज्य सरकार, प्रत्येक प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार, जो राज्य में कार्य कर रहे एक या अधिक समूहकों से जुड़ा हुआ है, का रजिस्ट्रीकरण करेगी और एक विशिष्ट पहचान सृजित करेगी।

**9. समूहकों का रजिस्ट्रीकरण.-** (1) प्रत्येक समूहक से, इस अधिनियम के प्रवर्तन के साठ दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार से रजिस्ट्रीकृत करवाने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) राज्य सरकार, राज्य में कार्य कर रहे समूहकों का, इस अधिनियम के अधीन बाध्यताओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के नाम और पदाभिधान सहित, एक रजिस्टर संधारित करेगी।

(3) राज्य सरकार, समूहकों का रजिस्टर अपने वेब पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।

## अध्याय-4

## प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार निधि और कल्याण फीस

**10. प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के लिए निधि.-** (1) राज्य सरकार रजिस्ट्रीकृत प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के फायदे के लिए "राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि" के नाम से एक निधि स्थापित करेगी और निम्नलिखित धन, उसका भाग होगा और इसमें संदत्त होगा, अर्थात्:-

(i) धारा 11 के अधीन प्रभारित कल्याण फीस से प्राप्त समस्त राशियां;

(ii) राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त राशियां; और

(iii) अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियां।

(2) निधि का उपयोग और प्रबंधन ऐसी रीति से किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

**11. प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण फीस.-** (1) किसी समूहक से "प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण फीस" के नाम से एक कल्याण फीस प्रभारित की जायेगी जो प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार से संबंधित प्रत्येक संव्यवहार के मूल्य की ऐसी दर (प्रतिशत) पर होगी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'प्रत्येक संव्यवहार के मूल्य' में संदत्त या संदेय कोई कर सम्मिलित नहीं होगा।

(2) ऐसी फीस राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर संगृ हीत की जायेगी, जैसाकि विहित किया जाये।

**12. लेखे और संपरीक्षा.-** (1) राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगी तथा तुलनपत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

(2) निधि के लेखों की महालेखाकार, राजस्थान के कार्यालय द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जायेगी।

(3) संपरीक्षक द्वारा प्रमाणित निधि के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ ऐसी तारीख से पूर्व, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, वार्षिक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे।

(4) बोर्ड ऐसे निदेशों का, जो राज्य सरकार, संपरीक्षक की रिपोर्ट के परिशीलन के पश्चात् जारी करना उचित समझे, अनुपालन करेगा।

(5) संपरीक्षा की लागत, जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये, निधि में से संदत्त की जायेगी।

(6) समस्त धन जो निधि का भाग है भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू या जमा खाते में रखा जायेगा या राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूतियों में विनिधान किया जायेगा।

## अध्याय–5

## प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के अधिकार

**13. प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के अधिकार.-** समस्त प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों को-

(क) राज्य सरकार के साथ, किसी भी प्लेटफार्म से जुड़े होने पर कार्य की अवधि पर विचार किये बिना, रजिस्ट्रीकृत होना, और समस्त प्लेटफार्मों पर लागू होने वाली कोई विशिष्ट पहचान प्रदान किये जाने का;

(ख) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अंशदान किये जाने पर आधारित साधारण और विशेष सामाजिक सुरक्षा स्कीमों तक पहुंच का;

(ग) धारा 14 में यथाविनिर्दिष्ट समुचित शि कायत निवारण तंत्र और किन्हीं शिकायतों के लिए सुनवाई के अवसर का;

(घ) बोर्ड में प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनके कल्याण हेतु लिये जाने वाले समस्त विनिश्चयों में भाग लेने का,

अधिकार होगा:

परन्तु इस अधिनियम में की कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों को दिये गये किसी फायदे या संरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

## अध्याय-6
## शिकायत, अपील और कल्याण फीस की वसूली

**14. प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र.-** (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारियों, संदायों और अन्य फायदों से उत्पन्न किसी शिकायत के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किये जाने वाले किसी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः याचिका फाइल कर सकेगा या वेब पोर्टल के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन याचिका के निपटारे के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी जांच करके निवारण का कोई आदेश पारित करते हुए उक्त याचिका का निपटारा करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन के आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर, अपील प्राधिकारी के समक्ष होगी:

परन्तु अपील प्राधिकारी, नब्बे दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल नहीं कर सका था।

(5) अपील प्राधिकारी यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार अपील का निपटारा करेगा।

**15. कल्याण फीस की वसूली.-** किसी समूहक से, इस अधिनियम के अधीन शोध्य कल्याण फीस की कोई रकम, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

## अध्याय-7

## ब्याज और शास्तियां

**16. कल्याण फीस के संदाय में विलंब पर संदेय ब्याज.-** यदि कोई समूहक, धारा 11 के अधीन संदेय फीस की किसी रकम को, यथा विहित समय के भीतर-भीतर, संदत्त करने में विफल रहता है तो ऐसा समूहक, देय फीस पर, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, ऐसी रकम के वास्तव में संदाय किये जाने तक, प्रति वर्ष बारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।

**17. इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां.-** (1) कोई समूहक, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, ऐसे समूहक पर ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी, जो प्रथम उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपये तक का और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास लाख रुपये तक का हो सकेगा।

(2) जुर्माने के असंदाय की दशा में, यह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में यथाविहित रीति से वसूलीय होगा।

## अध्याय-8

## ट्रैकिंग और मानीटरिंग

**18. केन्द्रीय संव्यवहार सूचना और प्रबंधन प्रणाली.-** (1) प्लेटफार्म पर जनित समस्त संदायों को, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित और बोर्ड द्वारा मानीटर की जाने वाली एक केन्द्रीय संव्यवहार सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीटीआईएमएस) पर मैप किया जायेगा।

(2) प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों से संबंधित प्रत्येक संव्यवहार के लिए प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों को किया गया प्रत्येक संदाय और कटौती की गयी कल्याण फीस केन्द्रीय संव्यवहार सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीटीआईएमएस) पर अभिलिखित किये जायेंगे। संदाय के लिए रूपविधान ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(3) प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकारों के स्तर पर संगृहीत और खर्च की गयी कल्याण फीस के ब्यौरे केन्द्रीय संव्यवहार सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीटीआईएमएस) पर प्रकट और उपलब्ध करवाये जायेंगे।

## अध्याय-9

## प्रकीर्ण

**19. वार्षिक रिपोर्ट.-** बोर्ड प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

**20. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.-** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

**21. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण.-** इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी भी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**22. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

**23. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए, आवश्यक या समीचीन हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
**प्रमुख शासन सचिव।**

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, September 14, 2023**

**No. F. 2(44)Vidhi/2/2023.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Platfarm Aadharit Gig Karmkar (Rrgistrikaran Aur Kalyan) Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 29):-

**(Authorised English Translation)**

# THE RAJASTHAN PLATFORM BASED GIG WORKERS (REGISTRATION AND WELFARE) ACT, 2023

**(Act No. 29 of 2023)**

(Received the assent of the Governor on the 12th day of September, 2023)

*An*
*Act*

*to constitute a Welfare Board and to set up a welfare fund for platform based gig workers, to register platform based gig workers and aggregators in the State and to facilitate guarantee of social security to platform based gig workers and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

## CHAPTER-I

## Preliminary

**1. Short title, extent, commencement and application.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(4) It applies to:-

(i) an aggregator operating in the State of Rajasthan;

(ii) any service or work being carried out that meets with the definition of gig worker and platform as defined respectively under clause (e) and clause (f) of section 2 of this Act.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "aggregator" means a digital intermediary for a buyer of goods or user of a service to connect with the seller or the service provider, and includes any entity that coordinates with one or more aggregators for providing the services;

(b) "Appellate Authority" means the Member-Convener of the Board;

(c) "Board" means the Rajasthan Platform Based Gig Workers Welfare Board constituted under section 3;

(d) "Fund" means the Rajasthan Platform Based Gig Workers Social Security and Welfare Fund established under sub-section (1) of section 10 of this Act;

(e) "gig worker" means a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship and who works on contract that results in a given rate of payment, based on terms and conditions laid down in such contract and includes all piece-rate work;

(f) "Platform" means an online transaction based arrangement of work that may involve a person or persons providing goods and services and a person or persons receiving goods and services against a specified rate of payment;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "rules" means the rules made under this Act;

(i) "State Government" means the Government of Rajasthan;

(j) "Unique ID" means the unique number issued to a platform based gig worker registered as per section 8**;** and

(k) "Welfare Fee" means the fee charged under section 11 of this Act.

## CHAPTER-II

## Platform Based Gig Workers Welfare Board

**3. Rajasthan Platform Based Gig Workers Welfare Board.-** (1) The State Government shall, with effect from such date as it may appoint, constitute a Board to be known as "The Rajasthan Platform Based Gig Workers Welfare Board" to exercise the powers conferred on, and perform the duties and functions assigned to it, under this Act.

(2) The headquarters of the Board shall be at Jaipur, Rajasthan.

(3) The Board shall consist of-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | the Minister in-charge of the Department of Labour, Rajasthan | - | Ex-officio Chairperson; |
| (ii) | the Secretary in-charge, Department of Labour or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | Ex-officio Member Convener; |
| (iii) | the Secretary in-charge, Department of | - | Ex-officio Member; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Information and Technology or his nominee not below the rank of Joint Secretary | | |
| (iv) | the Secretary in-charge, Department of Social Justice and Empowerment or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | Ex-officio Member; |
| (v) | the Secretary in-charge, Department of Transport or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | Ex-officio Member; |
| (vi) | the Secretary in-charge, Department of Finance or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | Ex-officio Member; |
| (vii) | two representatives of the platform based gig workers to be nominated by the State Government | - | Members; |
| (viii) | two representatives of aggregators, owners and manufacturers of goods and services being delivered through platforms to be nominated by the State Government | - | Members; and |
| (ix) | two representatives, one from Civil Society and another who evince interest in any other field, who, in the opinion of the State Government, ought to be represented in the Board, to be nominated by the State Government | - | Members: |

Provided that the State Government shall ensure that the nominated members of the Board include at least one-third women.

**Explanation.-** For the purpose of this sub-section expression "Secretary in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary or a Principal Secretary when he is in-charge of a department.

(4) The nominated members of the Board shall have a term of three years:

Provided that the State Government may extend their term for another one year if it deems appropriate.

(5) In the event of any vacancy occurring on account of death, resignation, disqualification, or removal under sub-section (7) and (8), such vacancy shall be filled by the State Government by fresh nomination for the remaining term.

(6) Any nominated member of the Board may at any time resign from his/her office by writing under his/her hand addressed to the Chairperson, and his/her office shall, on acceptance of resignation, become vacant.

(7) No person shall be chosen as, or continue to be, a nominated member of the Board who-

(i) is a salaried officer or an employee of the State Government; or

(ii) is or at any time has been adjudged insolvent; or

(iii) is found to be a lunatic or becomes of unsound mind; or

(iv) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(v) is an aggregator or owner or manufacturer of goods who has defaulted or violated any provision of this Act.

(8) The State Government may remove from office any nominated member, who-

(i) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (7) of this section; or

(ii) is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings of the Board.

**4. Meetings of the Board.-** (1) The Board shall meet at such time and place and observe such rules of procedure for transaction of business at its meetings as may be prescribed:

Provided that the Board shall meet at least once in six months:

Provided further that the Chairperson may convene a meeting of the Board upon a written request from at least six members of the Board.

(2) The Chairperson, or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Board, any other member as decided by members present, shall preside over the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a second or a casting vote.

(4) The quorum for the meeting of the Board shall be fifty percent of the total members.

**5. Powers, duties and functions of the Board.-** The powers, duties and functions of the Board shall be as follows:-

(a) ensure registration of platform based gig workers as per section 8;

(b) ensure registration of aggregators operating in the State as per section 9;

(c) ensure that welfare fee deduction mechanism is integrated with the functioning of the application of the aggregator;

(d) set up a monitoring mechanism to review compliance of provisions of this Act and to certify that welfare fee is being duly deducted;

(e) monitor the schemes for social security of registered platform based gig workers and provide recommendations to the State Government for administering such schemes;

(f) ensure that platform based gig workers have access to the benefits as per the schemes formulated by the State Government and to provide pro-active

facilitation to them in their engagement with concerned aggregator;

(g) ensure protection of rights of platform based gig workers, under this Act;

(h) ensure time bound redressal of grievances related to the rights of platform based gig workers as mandated under this Act and any other matter related to implementation of the provisions of this Act;

(i) engage with registered unions working with platform based gig workers and hold regular open consultations with them; and

(j) may constitute a committee for providing the recommendations to the State Government for formulation, review and implementation of the schemes.

**6. Officers and employees.-** The State Government shall depute such officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

**7. Allowances.-** The nominated members of the Board shall be entitled for allowances for attending the meetings of the Board, at such rate as may be prescribed.

## CHAPTER-III

## Registration of Platform Based Gig Workers and Aggregators

**8. Registration of Platform Based Gig Workers.-** (1) The aggregators shall provide to the State Government its database of all platform based gig workers onboarded or registered with them within sixty days of enforcement of this Act.

(2) All platform based gig workers onboarded or registered with any platform shall be automatically registered with the State Government.

(3) The State Government shall maintain a database of platform based gig workers in the State along with the details of their employment with one or more aggregators, and notwithstanding the duration or time of engagement with any platform.

(4) The State Government shall register and generate a unique ID to every platform based gig worker who is onboarded by one or more aggregators operating in the State.

**9. Registration of Aggregators.-** (1) Every aggregator shall be required to get registered with the State Government within sixty days of enforcement of this Act.

(2) The State Government shall maintain a register of aggregators operating in the State along with the name and designation of an officer authorised by the State Government responsible for carrying out obligations under this Act.

(3) The State Government shall publish the register of aggregators on its web portal.

## CHAPTER-IV

## Platform Based Gig Workers Fund and Welfare Fee

**10. Fund for Platform Based Gig Workers.-** (1) The State Government shall establish a fund to be called "The Rajasthan Platform Based Gig Workers Social Security and Welfare Fund" for the benefit of registered platform based gig workers and the following money shall form part of, and be paid into, namely:-

(i) all sums received from welfare fee charged under section 11;

(ii) all sums received as grant-in-aid from the State Government; and

(iii) all sums received from other sources.

(2) The Fund shall be utilized and managed in such manner as may be determined by the State Government.

**11. Platform Based Gig Workers Welfare Fee.-** (1) There shall be charged, from an aggregator a welfare fee known as "The Platform Based Gig Workers Welfare Fee", which shall be at such rate (percent) of the value of each transaction related to platform based gig worker as may be notified by the State Government.

**Explanation.-**For the purposes of this section, 'the value of each transaction' shall not include any tax paid or payable.

(2) Such fee shall be collected by the State Government in such manner and within such time as may be prescribed.

**12. Accounts and Audit.-** (1) The State Government shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including a balance-sheet in such form as may be prescribed.

(2) The accounts of the Fund shall be audited annually by the office of the Accountant General of Rajasthan.

(3) The accounts of the Fund certified by the auditor, together with the audited report thereon shall be forwarded annually to the State Government before such date as the State Government may specify in this behalf.

(4) The Board shall comply with such directions as the State Government may, after perusal of the report of the auditor, think fit to issue.

(5) The cost of audit, as determined by the State Government, shall be paid out of the Fund.

(6) All moneys forming part of the Fund shall be kept in current or deposit account with the State Bank of India (SBI) or in any Nationalised Bank or invested in securities by the State Government.

## CHAPTER-V

## Rights of Platform Based Gig Workers

**13. Rights of Platform Based Gig Workers.-** All platform based gig workers shall have the right to,-

(a) be registered with the State Government on being onboarded on any platform, irrespective of the duration of the work, and be provided a Unique ID applicable across all platforms;

(b) have access to general and specific social security schemes based on contributions made as may be notified by the State Government;

(c) have an opportunity to be heard for any grievances and appropriate grievance redressal mechanism as specified in section 14; and

(d) participate in all decisions taken for their welfare through representation in the Board:

Provided that nothing in this Act shall affect any benefit or protection accorded to platform based gig workers under any other law for the time being in force.

## CHAPTER-VI

## Grievances, Appeals and Recovery of Welfare Fee

**14. Grievances Redressal Mechanism for Platform Based Gig Workers.-** (1) A platform based gig worker registered under this Act may file a petition in person, before an officer, to be designated by the State Government or make a petition through web portal, in relation to any grievance arising out of entitlements, payments and other benefits provided under this Act.

(2) The procedure, for the disposal of petition filed under sub-section (1), shall be such, as may be prescribed.

(3) The officer so authorised under sub-section (1), upon inquiries, dispose the said petition by passing an order of redressal.

(4) An appeal against the order under sub-section (3) shall lie within ninety days from the date of order before the Appellate Authority:

Provided that the Appellate Authority may admit the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal in accordance with the procedure as may be prescribed.

**15. Recovery of Welfare Fee.-** Any amount of welfare fee due under this Act from an aggregator may be recovered in the same manner as an arrear of land revenue.

## CHAPTER-VII

## Interest and Penalties

**16. Interest payable on delay in payment of Welfare Fee.-** If any aggregator fails to pay any amount of fee payable under section 11 within the time as may be prescribed, such aggregator shall be liable to pay simple interest, on the fee due,to be paid at the rate of twelve percent per annum from the date on which such payment is due till such amount is actually paid.

**17. Penalties for contravention of provisions of this Act.-** (1) Any aggregator who contravenes the provisions of this Act or rules made thereunder or who fails to comply with the provisions of this Act or any rules made thereunder, the State Government may, impose a

fine upon an aggregator, which may extend up to five lakh rupees for the first contravention and up to fifty lakh rupees for subsequent contravention.

(2) In case of non-payment, fine shall be recoverable by the method as prescribed in Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956).

## CHAPTER-VIII

## Tracking and Monitoring

**18. Central Transaction Information and Management System.-** (1) All payments generated on platforms shall be mapped on to a Central Transaction Information and Management System (CTIMS) administered by the State Government and monitored by the Board.

(2) Every payment made to platform based gig workers and welfare fee deducted shall be recorded on the Central Transaction Information and Management System (CTIMS) for each transaction related to platform based gig worker. The formats for the payment shall be such as may be prescribed.

(3) The details of welfare fee collected and spent at the platform based gig workers level shall be disclosed and made available on the Central Transaction Information and Management System (CTIMS).

## CHAPTER-IX

## Miscellaneous

**19. Annual Report.-** The Board shall prepare every year a report of its activities under this Act during the year and submit the report to the State Government.

**20. Act to be in addition to any other law.-** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

**21. Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

**22. Power to make rules.-** (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or resolves that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published in the Official Gazette.

**23. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is so made, be laid before the House of State Legislature.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
**Principal Secretary to the Government.**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**